

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 44 /2025

दिनांक 03.02.2025

श्रीमती सुषमा पारीक (RJ00501), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), श्रीगंगानगर को दिनांक 15.02.2025 से 07.03.2025 तक 21 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती पारीक की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, श्रीगंगानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), श्रीगंगानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
03/2/25

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/57/2005/ 1063

दिनांक 03.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 359 दिनांक 22.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुषमा पारीक (RJ00501), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), श्रीगंगानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), श्रीगंगानगर।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, श्रीगंगानगर।

03/02/25
सहायक रजिस्ट्रार